

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्या:-1705/बी0एफ0टी0/03/05-06

दिनांक:-.....

09-11-17

पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड में स्थित खसरा सं0-772 से 781 मौजा-बसई मुस्तकिल पर निर्मित रेडीसन होटल, सिसियर डवलपर्स प्रा0लि0 के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण पत्र (आवेदक पत्र के भाग अ, ब, स, द) का परीक्षण अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0-1705/बी0एफ0टी0/03/05-06 व शमन मानचित्र सं0-एनएफटी/वीसी/57/15-16 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 08.11.17 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जाता है कि होटल एक्ट के सभी प्राविधान लागू रहेंगे तथा संरचनात्मक गुणवत्ता आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।

Received by
Jewari
Kapoor
09/11/17
(DEवेश KAPoor)

Hclan
09/11/17

(एन0के0चौधरी)

अधिशाली अभियन्ता(भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

(Handwritten signature)



आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

विभाग.....
फाइल संख्या.....
क्रम संख्या.....


सचिव / उपाध्यक्ष,


कृपया सिन्सियर डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा मौजा बसई मुस्तकिल के खसरा सं० 772 से 781 पर निर्मित होटल रेडिसन भवन के पूर्णता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में विकासकर्ता द्वारा फायर सेफ्टी एवं इलैक्ट्रिकल सेफ्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धी आवेदन निरस्त कर दिया गया था। विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.09.17 एवं विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 27.10.17 प्रस्तुत कर दिया गया है, जो अवलोकनीय है। भवन उपविधि के अनुसार अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र भी पत्रावली में संलग्न हैं।

अतः पृष्ठ-04 से 05 पर उल्लिखित विभागीय आख्या में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन होटल रेडिसन भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विशेष कार्याधिकारी

3/11/17

मुख्य नगर नियोजक

4/11/2017
8/11/2017
उपाध्यक्ष
आगरा विकास प्राधिकरण


3-11-17
सचिव
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

EE
कृपया उपरोक्त शर्तों पर पूर्णता प्रमाण पत्र निगम करने की स्वीकृति दि० 08-11-17 के क्रम में पक्ष को जारी किये जाने वाले शर्त प्रमाणपत्र का आलेख तैयार कर दिया गया है। कृपया अवलोकन कर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

09/11/17
9/11/17
09/11/17